न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-535RAABarmer2025-264RTA223 Gulabsingh ors Vs Hakamsingh etc

01. गुलाबसिंह पुत्र जोगसिंह
02. बहादुरसिंह पुत्र वीरसिंह
03. केसर कंवर पत्नी वीरसिंह
04. शम्भूसिंह पुत्र वीरसिंह
जाति राजपूत निवासी गैहू तहसील व जिला बाडमेर हाल निवासी बाड़मेर आगोर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. हाकमसिंह पुत्र नाथूसिंह
2. सुमेरसिंह पुत्र नाथूसिंह
3. बाईराज कंवर पत्नी नाथूसिंह
जाति राजपूत निवासी गैहूँ तहसील व जिला बाड़मेर।
4. श्रीमान तहसीलदार बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 सितंबर 2024 सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व मूल वाद संख्या 25/2023 हाकमसिंह व अन्य बनाम गुलाबसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2023 अनवान हाकमसिंह व अन्य बनाम गुलाबसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 हिन्दु विधि से शासित है तथा एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक व पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि मौजा गैहूँ तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 217

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबा 7.7214 हेक्टेयर आयी हुई है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की थी। समस्त भूमि संयुक्त रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज की जानी थी, परन्तु राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर वादीगण के पूर्वजों का नाम अपने साथ राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं करवाया तथा वादीगण के पूर्वजों का नाम पीछे छोड़ते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वजों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया गया, जबकि वादीगण के पूर्वज भी संयुक्त रूप से काबिज थे तथा दोनों परिवार संयुक्त रूप से निवास करते थे। वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का था। मौके पर इसी अनुसार पक्षकारान का आज दिन तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से के संबंध में खातेदारी घोषणा का का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 सितंबर 2024 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में अपीलाण्ट्स को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है तथा किसी भी आदेशिका में नोटिस जारी करने का अंकन नहीं है तथा न ही आदेशिका में नोटिस तामील होने का जरिये डाक रसीद एवं डिलीवरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। फिर भी बिना डिलीवरी रिपोर्ट एवं बिना तामील करवाये अपीलाण्ट्स के विरूद्ध दिनांक 20.05.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा एक ही दिन में साक्ष्य लेकर उसी दिन निर्णय पारित कर दिया गया है, जिससे अपीलाण्ट्स के हितों को कुठाराघात पहुँचा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 03.11.2023 को नोटिस जारी होना बताया है, जबकि उस दिन कोई तारीख पेशी नहीं थी। बिना सम्मन तामील करवाये अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर अपीलाण्ट के हितों के साथ कुठाराघात किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा सम्मन तामील प्रक्रिया के आदेश 5 नियम 20 सीपीसी को अनदेखा किया गया है, जबकि उक्त प्रावधानों की पालना बाध्यकारी है। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स एवं उत्तरदातागण सगे भाई नहीं है तथा न ही एक परिवार से है। खेत खसरा नम्बर 217 मौजा गैहूँ वक्त सेटलमेंट में अपीलाण्टगण संख्या 1 से 4 एवं उत्तरदाता संख्या 1 से 3 के पूर्वजों का नहीं था। खेत खसरा नम्बर 217 नीम्बाराम पुत्र खेताराम जाति मेगवाल निवासी गैहूँ के नाम से वक्त सेटलमेंट दर्ज था। अपीलाण्ट्स के पूर्वज जोगसिंह ने श्रीमान् सहायक कलेक्टर बाड़मेर के समक्ष वाद संख्या 284/1968 प्रस्तुत कर डिकी प्राप्त कर वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार दर्ज हुए है। सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष जोगसिंह अकेले ने ही वाद पेश किया था। उक्त वाद में जोगसिंह के अलावा कोई अन्य पक्षकार नहीं था। यदि उत्तरदाता का उक्त भूमि में कब्जा होता तो जोगसिंह द्वारा नीम्बाराम के विरूद्ध किये गये वाद में पक्षकार अवश्य बनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी

जाता। उक्त भूमि कभी भी खेतसिंह के नाम दर्ज नहीं रही है। सेटलमेंट के समय उक्त भूमि नीम्बाराम के नाम की थी। नीम्बाराम से जरिये न्यायालय आदेश अपीलाण्ट के पूर्वज जोगसिंह को प्राप्त हुई थी तथा स्व. जोगसिंह की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स को विरासतन प्राप्त हुई है। फिर भी उत्तरदातागण ने संयुक्त भूमि बताकर मात्र वर्तमान जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 प्रस्तुत कर उक्त वाद में खातेदारी की घोषणा करवा दी गई, जबकि प्रदर्श–1 जमाबंदी से यह साबित नहीं होता है कि उक्त भूमि सेटलमेंट में अपीलाण्ट एवं उत्तरदाता की संयुक्त रूप से हो तथा राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट के समय जोगसिंह ने अपने अकेले के नाम से करवा दी गई हो। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक जमाबंदी के आधार पर निर्णय पारित किया है तथा उत्तरदाता ने अपने वाद के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी खेतसिंह के नाम की खातेदारी की हो। अधीनस्थ न्यायालय को वादी के समस्त दस्तोवजों का अवलोकन करना चाहिये था। वादीगण की ओर से सेटलमेंट की नकल पेश नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा संवतः 2076 से 2079 की जमाब्रंदी के आधार पर खातेदारी घोषणा करना निराधार है। वादीगण की ओर से जो गवाह पेश किये गये है। सभी गवाहान गैहूँ गांव के निवासी भी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम निर्णय पारित कर विधिविरूद्ध तरीके से दस्तावेजी साक्ष्यों से विपरीत जाकर अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार उत्तरदाता संख्या 1 से 3 को घोषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन डिक्री का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 25.09.2025 को उत्तरदातागण द्वारा अपीलाण्ट्स को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी देकर अपीलाण्ट्स को कहा गया कि इस जमीन में हमने 1/2 हिस्से में अपना नाम डलवा दिया है, अब हम आगे बेचान कर देंगे। तब अपीलाण्ट्स को अपने हकूक संशयप्रद लगे तथा अपीलाण्ट्स ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिनाक 01.10.2025 अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय व सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें मांगी जो नकले दिनांक 01.10.2025 को मिली। नकलें मिलने पर देखने पर अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ। ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2023 अनवान हाकमसिंह व अन्य बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गुलाबसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 सितंबर 2024 को अपास्त किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को भेजे गेय रजिस्टर्ड सम्मनों की पोस्टल डिलीवरी रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट्स को भेजे गये सम्मन पूर्ण पता की रिपोर्ट के साथ पुनः विचारण न्यायालय को प्राप्त हुए है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17 से 19 व 20 के प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर पुनः सही पत्ते अनुसार सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाज़मी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण/रेस्पो. द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को स्व. खेतसिंह का वंशज बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पैतृक खातेदारी की भूमि बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रदर्श–1 जमाबंदी संवतः 2076–79 ग्राम गेहूँ तहसील बाड़मेर एवं मौखिक गवाहन के शपथ–पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर किये जाने प्रकट होते है। प्रदर्श–1 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 217 रकबा 7.7214 हैक्टेयर अपीलांट्स की खातेदारी में ही दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2012–2031 ग्राम गेहूँ तहसील बाड़मेर के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 217 वक्त सेटलमेंट खातेदार निम्बो वल्द खेतो कौम मेघवाल के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। अपीलांट्स के कथनानुसार एवं नामांतरकरण संख्या 135 के मुताबिक अपीलांट्स के पिता/दादा जोगसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में सहायक कलक्टर बाड़मेर के समक्ष मुकदमा संख्या 289/1968 प्रस्तुत किये जाने पर सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा उक्त मुकदमा में पारित निर्णय की पालना में नामांतरकरण संख्या 135 के जरिये अपीलांट्स के पिता/दादा जोगसिंह वल्द खेतसिंह का नाम वादग्रस्त आराजीयात में बतौर खातेदार दर्ज किया जाना साबित है। स्व. जोगसिंह की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजीयात नामांतरकरण संख्या 556 ग्राम गेहूँ के जरिये अपीलांट्स के नाम दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा अपने वाद में अपीलांट्स एवं रेस्पो. को स्व. खेतसिंह का वारिसान् बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पुश्तैनी भूमि होने के कथन किये गये है। पत्रावली पर उपलब्ध वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त आराजीयात न तो कभी स्व. खेतसिंह के नाम दर्ज रहीं है तथा न ही वादीगण/रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी

एवं उनके पूर्वज नाथूसिंह के नाम दर्ज रहीं है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स के पिता/दादा जोगसिंह को जरिये डिक्री प्राप्त उनकी स्वअर्जित भूमि है न कि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयत के राजस्व रेकर्ड/ उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2023 अनवान हाकमसिंह व अन्य बनाम गुलाबसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 सितंबर 2024 खारिज किये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम लिपिक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर